(c) in the entries under column (11) ,-

(A) for the words and figures " the pay scale under Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2800", the words and figure "Level 5 in the pay matrix" shall be substituted;

(B) Note 3, shall be omitted;

[F. No.3/4/SSB/CSC/Area/GP 'B'/2016/SFS]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy. (Personnel)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R 444 (E), dated the 14th June, 2012.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2001 को, जहाँ तक कि उनका संबंध प्रबन्धक श्रेणी-III, भण्डारी या सहायक प्रबन्धक-सह-भण्डारी, कोषाध्यक्ष, हलवाई, लिपिक/विक्रयकर्ता, सहायक हलवाई, रसोइया, चाय या काफी बनाने वाला, बैरा और वाश ब्याए के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के विभागीय कैंटीन/टिफ़िन कक्ष में सहायक प्रबन्धक-सह-भण्डारी, लिपिक, हलवाई-सह-रसोईया, सहायक हलवाई-सह-रसोईया और कैंटीन परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (विभागीय कैंटीन) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट होंगी।

5. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृत्ति**:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंधक सह-भण्डारी	33* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में *स्तर* – 4 ***टिप्पण***:- *वह* 'क', 'ख', 'ग', '2-क' *और* '3-क' *प्रकार की कैंटीनों में कार्य करने के लिए* 250 *रु/- प्रतिमाह और* '4-क' *या उससे ऊपर के कैंटीनों में* 500 *रु/- प्रतिमाह विशेष भत्ता प्राप्त करेगा।*	अचयन पद	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विधाशाखा में स्नातक के साथ एक मान्यता प्राप्त संस्था से लेखा रखने की प्रणाली या भंडारण की प्रणाली में एक वर्ष का डिप्लोमा। (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों या लेखाओं के प्रचालन में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं (अर्हता), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति: (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

(ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोईया जिन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में पाँच वर्ष नियमित सेवा के साथ सरकारी विभाग या उपक्रम में भण्डारों या लेखाओं के प्रचालन में दो वर्ष का अनुभव हो और मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय में बारहवीं पास शैक्षिक अर्हता रखते हों।

टिप्पण 1: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारी द्वारा सम्बंधित ग्रेड या पद में निर्धारित योग्यता सेवाओं के पूरा करने की तारीख के सन्दर्भ में तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तः

केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी -

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की हों; और

(iii) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों; और

(ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में भण्डारों या लेखाओं के प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उपनिदेशक या जयेष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार प्रशासनिक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – अध्यक्ष 2. निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोडकर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लिपिक	98* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2	अचयन पद	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय के साथ बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य; और (ख) कम्पयुटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डीप्रेशन के साथ 10500 की डीप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डीप्रेशन प्रति घंटा, 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, के तत्स्थानी हैं।) **टिप्पण 1:** अर्हताएं (अर्हता), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)
प्रोन्नति: कैन्टीन परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। (कैंटीन परिचरों की लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से संघटनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछित होगा।) **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार प्रशासनिक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमें प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – अध्यक्ष 2. निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हलवाई-सह-रसोईया	67*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में *स्तर* – 3	अचयन पद	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से खानपान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र; और (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में सुसंगत क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। (अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए खाना पकाने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा एक व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।) **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नति: 1. ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तः

केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से खान-पान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र;

(ii) सरकारी विभाग या उपक्रम में सुसगंत क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार प्रशासनिक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – अध्यक्ष 2. निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।